कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

पत्रांक: ए.ई/03/WM-I/वर्ग-I/AGT-2026/567/खंड-I/ 1416

दिनांक: 01-06-2026

कार्यालय आदेश

प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचरियों के सम्बन्ध में वार्षिक सामान्य स्थानांतरण (AGT-2026) की प्रक्रिया मुख्यालय के परिपत्र संख्या 502-Staff (App-III)/2025 दिनांक 22-01-2025 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण की जानी है | इस सम्बन्ध में कार्यालय आदेश संख्या ए.ई/03/WM-I/वर्ग-I/AGT-2026/567/खंड-I/1410 दिनांक 18-05-2026 एवं शुद्धिपत्र संख्या ए.ई/03/WM-I/वर्ग-I/AGT-2026/567/खंड-I/1412 दिनांक 22-05-2026 द्वारा AGT-2026 में स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों कि सूची एवं रिक्त तथा रिक्त होने वाले खण्डों की सूची प्रकाशित की गयी थी |

इस क्रम में AGT-2026 में उक्त आदेशों के क्रम में स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के साथ संलग्न प्रोफोर्मा (अनुलग्नक-'अ') में वांछित सूचना एवं वरियता-प्रपत्र (अनुलग्नक-'ब') में वरियता अनुसार 10 स्टेशनो का नाम अंकित करें जहाँ वे पदस्थापित होना चाहते हैं | उक्त सूचना एवं वरियता-प्रपत्र को अपनी आधिकारिक ईमेल से इस कार्यालय के ईमेल आई.डी. agaeuttarpradesh1@cag.gov.in पर दिनांक 10-06-2026 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें और उसकी एक प्रति ईमेल आई.डी. dagworkcell.up2.ae@cag.gov.in पर भी प्रेषित करें | इसके अतिरिक्त 'Google Form' पर भी डाटा दिनांक 10-06-2025 तक भरना सुनिश्चित करें | उपर्युक्त माध्यम के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त सूचना स्वीकार नहीं की जाएगी | इस सम्बन्ध निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें:

1. प्रोफोर्मा एवं वरियता-प्रपत्र को AGT-2026 में स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पूर्ण रूप से भरा जाना है एवं अधिशासी अभियंता के प्रतिहस्ताक्षर के उपरांत निर्धारित समयावधि में ऊपर दी गयी ईमेलो पर प्रेषित करना है तथा 'Google Form' पर भी वांछित डाटा भरना है |
2. 'Google Form' भरने हेतु हाइपरलिंक इस कार्यालय की वेबसाइट पर 'What's new' सेक्शन में उपलब्ध है | उक्त हाइपरलिंक पर क्लिक कर 'Google Form' में वांछित सूचना भरनी है |
3. 'Google Form' और प्रोफोर्मा/वरियता-प्रपत्र में उल्लिखित विवरण में अंतर होने की स्थिति में, प्रोफोर्मा/वरियता-पपत्र में उल्लिखित विवरण ही स्वीकार किया जाएगा। इसी तरह एक से अधिक वरियता प्रपत्र प्राप्त होने कि स्थिति में निर्धारित समयावधि में इस कार्यालय में प्राप्त अंतिम वरियता-प्रपत्र ही मान्य होगा।
4. यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी वरियता-प्रपत्र में 10 से कम विकल्प भरता है तो इससे उसकी वरियता अनुसार पदस्थापना कि सम्भावना घट जाती है एवं ऐसी स्थिति में जिन स्टेशनो हेतु विकल्प दिए गए हैं उन स्टेशन में पदस्थापना न होने की स्थिति में किसी भी अन्य स्टेशन पर पोस्टिंग मिल सकती है |

5. इसी प्रकार यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी वरियता-प्रपत्र में कोई विकल्प नहीं भरता है या अंतिम तिथि तक वरियता-प्रपत्र में विकल्प भर कर प्रेषित नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि वह किसी भी स्टेशन पर पोस्टिंग हेतु इच्छुक है | विलम्ब से प्राप्त प्रोफोर्मा/वरियता-पपत्र या अपूर्ण प्रोफोर्मा/वरियता-प्रपत्र स्वीकार नहीं होंगे |
6. इस कार्यालय में प्रभागीय लेखाकार/प्रभागीय लेखाधिकारी कि नियुक्ति कि यह विशिष्ट शर्त होती है कि वे उत्तर प्रदेश राज्य में कही भी सेवा करने हेतु बाध्य हैं | अतः प्रशासनिक आधार पर किसी भी स्टेशन पर तैनात किये जाने का अधिकार इस कार्यालय के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है |

संलग्न: उपरोक्तानुसार |

शैलेन्द्र अग्रवाल 1/6

वरिष्ठ उप महालेखाकार/निर्माण

पत्रांक: ए.ई/03/WM-I/वर्ग-I/AGT-2026/567/खंड-I/139-142 दिनांक: 01-06-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हक़), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज |
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी/आई.टी.सी.जी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़.), प्रयागराज को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय आदेश को कार्यालय कि वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें तथा कार्यालय के वेबसाइट पर 'What's New' सेक्शन में हाइपरलिंक प्रदर्शित करें |
3. समस्त अधिशासी अभियंता को कार्यालय वेबसाइट के माध्यम से प्रेषित |
4. समस्त प्रभागीय लेखाधिकारी/लेखाकार को कार्यालय वेबसाइट के माध्यम से प्रेषित |

वरिष्ठ लेखाधिकारी/WM-I

"Proforma for AGT-2026"

1.	Name, Designation & Personal Number	
2.	Present Place of Posting with postal address and PIN	
3.	Mobile Number	
4.	Official email ID	
5.	Permanent Address as declared in Service Book	
6.	Date of Birth	
7.	Whether retiring within 3 years from date 01-05-2026	
8.	Whether retiring within 1 year from date 01-05-2026 (Yes/No)	
9.	Whether physically handicapped (Yes/No)	
10.	Whether seeking transfer on Spouse Ground? (Yes/No)	
11.	Whether seeking transfer on Compassionate/Medical Ground? (Yes/No)	

Details of Posting of the last 09 years

S. No.	Name of Division & Station	Period of Stay	Month of Posting

Signature of DAO/DA

Counter Signature
with seal of Executive Engineer

अनुलग्नक-ब

Preference Form

Name of Ten Stations of Choice:

S. No.	Station	Reasons for the option, if any.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Note:

1. Physically handicapped persons should quote the number and date of the letter issued by this office sanctioning transport allowance at double the normal rates (handicapped allowance).
2. Officers/Officials seeking transfer on spouse basis must indicate name and details of spouse working in All India Services/Central Services/State Services/PSU. Also, enclose the following self-attested relevant evidence/documents which are compulsory and without which the same will not be considered:
    a. Posting order/Joining Order of Spouse
    b. Current 2-3 months' Pay Slip of Spouse
3. Similarly, officers/officials seeking transfer on compassionate/medical ground must submit relevant documents.

Signature of DAO/DA

Counter Signature
with seal of Executive Engineer